रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14122022-241089
CG-DL-E-14122022-241089

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 656] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 14, 2022/अग्रहायण 23, 1944
No. 656] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 14, 2022/AGRAHAYANA 23, 1944

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2022

फा. सं 2-11/2021-BERH/NCH/11055.—राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) के अधिक्रमण में उप-धारा (1) और खंड (य च), (य छ), (य ज), (य झ) और (य) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 55 की उप- धारा (2) के साथ पठित धारा 32, 33 और 34 उनके सिवाय जो कि अधिक्रमण से पहले रखी अथवा या छोड़ी गई हैं द्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है अर्थात्:-

1-संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ-(1) इन विनियमों का नाम राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी चिकित्सकों का राष्ट्रीय पंजीका तैयार करने हेतु प्रविधि एवम रख रखाव) विनियम, 2022 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- (1)इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भसे अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(अ) "अधिनियम" से राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) अभिप्रेत है;

(आ) "अतिरिक्त योग्यता" में स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातकोत्तर डिप्लोमा या डॉक्टरेट की डिग्री, जैसा कि आयोग द्वारा निर्धारित किया गया हो शामिल है;

(इ) "आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन" का तात्पर्य एक ऐसा मिशन है जो एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र

वह होम्योपैथी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड को प्रपत्र-5 में अनुसूची में निर्दिष्ट शुल्क के साथ आवेदन करेगा और ऐसे चिकित्सकों को प्रपत्र-6 में दर्ज करेगा:

परंतु विवरणों के सत्यापन के पश्चात, होम्योपैथी राज्य चिकित्सा परिषद अथवा होम्योपैथी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड, जैसा भी मामला हो, नामांकन पत्र होम्योपैथी राज्य चिकित्सा परिषद को एक प्रति के साथ नामांकन पत्र जारी करेगा, जहाँ कि चिकित्सक वास्तव में पंजीकृत है:

परंतु आगे कि इस तरह के किसी भी नामांकन को अनंतिम अथवा अस्थायी अथवा स्थायी पंजीकरण या सीधे पंजीकरण के बराबर नहीं माना जाएगा और संबंधित राज्य चिकित्साहोम्योपैथी परिषद रिकॉर्ड में नया पता भी अद्यतित करेगी।

9. राज्य या राष्ट्रीय पंजीका (रजिस्टर) में अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के विवरण का अद्यतनीकरण (अपडेटिंग)।

(1) एक होम्योपैथी चिकित्सक के लाइसेंस को हर पांच साल के बाद सभी होम्योपैथी राज्य चिकित्सा परिषदों और सीधे पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा एक समान प्रतिरूप में अद्यतित (अपडेटेड) किया जाएगा।

(2) कोई भी चिकित्सक जो कि नियत तिथि से छह महीने के अंदर अपने लाइसेंस को अद्यतित करने में विफल रहता है, होम्योपैथी साभ्यास का अधिकार खो देगा और अपने लाइसेंस के आधार पर रोजगार जारी रखने का अधिकार भी खो देगा, जब तक कि वह होम्योपैथी राज्य चिकित्सा परिषदों द्वारा निर्धारित शुल्क अथवा होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग में सीधे पंजीकरण के मामले में प्रपत्र -9 में आवेदन के साथ अनुसूची में निर्दिष्ट शुल्क के भुगतान द्वारा जैसा भी मामला हो, अद्यतित नहीं किया जाय ।

परंतु ऐसे किसी भी अद्यतन (अपडेटिंग) की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि देरी दो साल से अधिक हो और ऐसे मामले में, लाइसेंस या पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा और नये लाइसेंस के लिए लागू शुल्क के साथ पुन: नया आवेदन करने की आवश्यकता होगी जैसा कि अनुसूची में निर्दिष्ट है या जैसा कि होम्योपैथी राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित किया गया हो, जैसा भी मामला हो ।

(3) इस विनियम के तहत किए गए सभी अद्यतन (अपडेटिंग) या हटाए जाने के बारे में होम्योपैथी राज्य चिकित्सा परिषदों द्वारा कारण बताते हुए इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक प्रारूप के माध्यम से एथिक और पंजीकरण बोर्ड को सूचित किया जाएगा।

10. राज्य पंजीका (रजिस्टर) या राष्ट्रीय पंजीका (रजिस्टर) में नाम हटाना या बहाल करना –

(1) जहां किसी व्यक्ति का पंजीकरण अमान्य अर्हता, जाली दस्तावेजों या अनुचित साधनों के आधार पर दिया गया है, उसका पंजीकरण संबंधित होम्योपैथी राज्य चिकित्सा परिषद अथवा होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग द्वारा जैसा भी मामला हो, हटा दिया जाएगा । उसके कारणों को रिकॉर्ड करके और व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अवसर देने के पश्चात और ऐसे सभी रद्दी किया मामलों को पंद्रह दिनों के अंदर होम्योपैथी नैतिकता पंजीकरण बोर्ड को सूचित किया जाएगा।

(2) कोई भी पंजीकृत होम्योपैथी साभ्यासी जिसका नाम होम्योपैथी के राज्य रजिस्टर से इस आधार के अलावा कि हटा दिया गया हो कि उसके पास आवश्यक चिकित्सा अर्हता नहीं है और नियत समय में अपने लाइसेंस को अद्यतित करने में विफल रहा है, और जहां उक्त साभ्यासी का आवेदन होम्योपैथी के राज्य रजिस्टर में उस्का नाम बहाली के लिए होम्योपैथी राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, ऐसी अस्वीकृति के तीस दिनों के भीतर, सभी विवरणों के साथ, अध्यक्ष, होम्योपैथी नैतिकता पंजीकरण बोर्ड में अपील दायर कर सकता है।

(3) ऐसे मामले में, जहां अपील, एक अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त साभ्यासी के पक्ष में दी जाती है, जिसका नाम राज्य या राष्ट्रीय रजिस्टर से हटा दिया गया है, उसका नाम तदनुसार संबंधित पंजीका में बहाल कर दिया जाएगा और अद्यतन (अपडेटेड) किया जाएगा।

11. पहले के पंजीकरण या अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) की सुरक्षा - किसी भी राज्य चिकित्साहोम्योपैथी परिषद द्वारा दिया गया अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) अथवा होम्योपैथी केंद्रीय रजिस्टर में भाग- I और भाग- II में आयोग के गठन से पहले केंद्रीय

NATIONAL COMMISSION FOR HOMOEOPATHY

NATIONAL COMMISSION FOR HOMOEOPATHY (MANNER OF PREPARATION AND MAINTENANCE OF NATIONAL REGISTER FOR PRACTITIONER OF HOMOEOPATHY) REGULATIONS, 2022

REGULATION: 9

Updating the details of License in State or National Register

- Mandatory to update **every five years**.
- **Failing** to update within **six months** shall **forfeit his right** to practice
- **Forfeit** the right to **continue in employment** based upon his license.
- All **updating** or **removal** made under this regulation shall be informed to the **BERH.**